

राजस्थान सरकार
कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता विभाग, राजस्थान
प्राविधिक शिक्षा निदेशालय राजस्थान, जोधपुर
W-6, रेजिडेन्सी रोड (गौरव पथ), जोधपुर (राज.)

फोन: 0291-2798120 फैक्स नं.: 2632329, Visit us: <http://livelihoods.rajasthan.gov.in>,
E-mail ID: rajitiadmission18@gmail.com

क्रमांक: प.सं.7(11)/प्र-1/केन्द्रीप्रवेश/2018/1949/10805

दिनांक : 01.06.2018

राजकीय/प्राइवेट औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (I.T.I's) में "केन्द्रीकृत ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया" के माध्यम से प्रवेश हेतु सूचना
प्रवेश सत्र :: अगस्त 2018


सत्र अगस्त 2018 में राज्य की समस्त राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (I.T.I.'s) में राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् (N.C.V.T.) एवं राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् (S.C.V.T.) के अन्तर्गत विभिन्न व्यवसायों में प्रवेश तथा प्राइवेट औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् (N.C.V.T.) के अन्तर्गत विभिन्न व्यवसायों में प्रवेश हेतु राज्य स्तरीय केन्द्रीकृत ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया द्वारा प्रवेश हेतु आवेदन-पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। प्रवेश प्रक्रिया की महत्वपूर्ण तिथियां निम्नानुसार है-

राजस्थान सरकार के एकीकृत पोर्टल sso.rajasthan.gov.in/ E-Mitra कियोस्क के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन फार्म भरने की प्रारम्भ तिथि	18.06.2018
ऑनलाईन आवेदन फार्म भरने, आवेदन/प्रोसेस शुल्क ई-मित्र के माध्यम से जमा कराने की अंतिम तिथि	09.07.2018

1. प्रवेश हेतु अभ्यर्थी की आयु 01-08-2018 को 14 वर्ष या 14 वर्ष से अधिक होनी चाहिये।
2. प्रवेश हेतु विभिन्न व्यवसायों की प्रवेश योग्यता 8 वीं, 10 वीं व 12 वीं कक्षा उत्तीर्ण है।
3. अभ्यर्थी वेबसाइट लिंक <http://hte.rajasthan.gov.in> का अवलोकन कर प्रवेश के लिए उपलब्ध व्यवसाय, योजना व प्रवेश स्थानों, संस्थान द्वारा ली जाने वाली फीस इत्यादि की नवीनतम जानकारी प्राप्त कर ऑनलाईन आवेदन कर सकेंगे।
4. विभिन्न व्यवसायों में प्रवेश संबंधी विस्तृत सूचनाएं एवं प्रवेश विवरणिका विभाग की वेबसाइट <http://livelihoods.rajasthan.gov.in> तथा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में भी उपलब्ध हैं।

विशेष प्रोत्साहन:-

राज्य सरकार द्वारा आईटीआई उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से इसे मुख्य धारा की शिक्षा से जोड़ने का निर्णय लिया गया है। इस हेतु राज्य सरकार ने एनसीवीटी (NCVT) आईटीआई मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों को 10 वीं एवं 12 वीं के साथ समकक्षता प्रदान करने का निर्णय लिया है। शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी आदेश अनुसार 8 वीं उत्तीर्ण विद्यार्थियों द्वारा 02 वर्ष का एनसीवीटी (NCVT) आईटीआई पाठ्यक्रम उत्तीर्ण कर लेने एवं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान/राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल जयपुर से कक्षा 10 वीं के लिये निर्धारित कोर्स अनुसार अंग्रेजी एवं हिन्दी विषय की परीक्षा उत्तीर्ण कर लेते हैं तो आगे की शिक्षा में प्रवेश हेतु इसे 10 वीं उत्तीर्ण के समकक्ष माना जाएगा। इसी प्रकार कक्षा 10 वीं उत्तीर्ण विद्यार्थियों द्वारा 02 वर्ष का एनसीवीटी (NCVT) पाठ्यक्रम उत्तीर्ण कर लेने एवं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान/राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल जयपुर से कक्षा 12 वीं के लिये निर्धारित कोर्स अनुसार अंग्रेजी विषय की परीक्षा उत्तीर्ण कर लेने पर आगे की शिक्षा में प्रवेश हेतु इसे 12 वीं उत्तीर्ण के समकक्ष माना जाएगा। विस्तृत निर्देश हेतु प्रवेश विवरणिका का अवलोकन करें।


निदेशक प्रशिक्षण